

अन्तिम डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री मुकेश बारैठ, आर.ए.एस.

हरमीत सिंह आदि बनाम स्टेट आफ राजस्थान

दावा 53, 88आर.टी.ए मुकदमा नं0 52/2017

निर्णय दिनांक :- 28.8.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री वाई.एस.सैनी एवं प्रतिवादी पैरोकार राज पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया चक 25एफ की जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता सं0 104 के मु0 नं0 48 की 6.200 है0 नहरी भूमि में सवनीत सिंह को 3.045 है0 रकबा, हरमीत सिंह को 2.662 है0 रकबा, हरिन्द्र सिंह को 0.493 है0 रकबा का खातेदार घोषित किया जाता है। चक 22एफ के खाता सं0 64 के मु0 नं0 45 की कुल 3.162 है0 रकबा में हरमीत सिंह को 2.227 है0 रकबा, रावविरेन्द्र सिंह को 0.379 है0 रकबा, सवनीत सिंह को 0.506 है0 रकबा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी चक के खाता सं0 72 के मु0 नं0 50 की कुल 1.985 है0 रकबा भूमि में हरमीत सिंह को 0.986 है0 रकबा, व सवनीत सिंह को 0.999 है0 रकबा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी चक के खाता सं0 76 के मु0 नं0 15,44,78/21 की कुल 6.196 है0 नहरी रकबा मय गैरमुमकिन खाला में सवनीत सिंह को 1.745 है0 रकबा का खातेदार घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में यदि कोई राजस्व हानि होगी तो वह संबंधित पक्षकार वहन करेंगे।

आज दिनांक 28.8.2017 को यह पर्चा डिग्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक:- 29.8.2017

मुहर

क्रमांक :- राजस्व/17/742

प्रतिलिपि :- तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

W

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर